संख्या–291 / VI-2 / 2016–51(03)2016 टी0सी0–2

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल,
उत्तराखण्ड।

युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अनुभाग देहरादून दिनांक : 11 मई, 2016

विषयः– वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु अनुदान संख्या–11 के आयोजनागत पक्ष में प्राविधानित बजट को अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–36 / दो–लेखा–2897 / 2016–17 दिनांक 08.04.16 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिये अध्यादेश संख्या–उत्तराखण्ड विनियोग (लेखानुदान) अध्यादेश संख्या–02, 2016 दिनांक 21.03.16 के माध्यम से अनुदान संख्या–11 लेखाशीर्षक–2204 के आयोजनागत पक्ष में उल्लिखित मदों के सापेक्ष **संलग्नक 'क'** में उल्लिखित मदों के सम्मुख अंकित कुल धनराशि रू0 1575 हजार आपके निवर्तन पर रखे जाने एवं निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

2– गत वर्ष में भारत सरकार से संगत मदों में प्रतिपूर्ति / केन्द्रीय सहायता की धनराशि एन0एस0एस0 प्रकोष्ठ को प्राप्त होने पर इससे तत्काल शासन को अवगत कराया जाएगा तथा भारत सरकार से केन्द्रांश की धनराशि प्राप्त होने पर बजट निदेशालय से पुष्टि उपरान्त आवंटित बजट की सीमा तक धनराशि की मांग का प्रस्ताव शासन में प्रस्तुत किया जाएगा।

3– उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जा रही है कि उक्त के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश सं0–318 / XXVII(1) / 2014 दिनांक 18 मार्च, 2014 एवं शासनादेश संख्या–400 / XXVII(1) / 2015 दिनांक 01 अप्रैल, 2015 तथा शासनादेश संख्या–490 / XXVII(1) / 2016 दिनांक 31 मार्च, 2016 में निहित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4– मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहॉ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों एवं अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए।

5– उक्त धनराशि उन्हीं मदों पर व्यय की जाय जिसके लिए स्वीकृत की जा रहीं है। व्यय में मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय। स्वीकृत धनराशि के व्यय के विवरण शासन तथा महालेखाकार को नियमित रूप से भेजे।

6– व्यय बजट एवं परिव्यय की सीमान्तर्गत रहते हुए ही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

7– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय **वित्तीय वर्ष 2016–17 में अनुदान संख्या–11 के लेखाशीर्षक 2204–खेलकूद तथा युवा सेवायें–00–001–निदेशान तथा प्रशासन–01–केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–0104–एन0एस0एस0 प्रकोष्ठ 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता के आयोजनागत** पक्ष के नाम **संलग्नक–'क'** के विवरणानुसार डाला जायेगा।

संलग्नकः–यथोक्त।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

C:\Users\lenovo\Rahul-2015-16-\Youth Welfare\nay vynyk-2015-16\G.O..doc

पृष्ठांकन संख्या- २७१/VI-2/2016-51(03)2016 टी0सी0-2 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड़, देहरादून।
2. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, देहरादून।
3. वित्त अनुभाग-3, उत्तराखण्ड शासन।
4. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड।
5. एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण सिंह)
संयुक्त सचिव।

159A

शासनादेश संख्या- 289/VI-2/2016-51(03)2016 टी0सी0-2 का संलग्नक। संलग्नक-क

अनुदान संख्या-11

लेखाशीर्षक-2204-खेलकूद तथा युवा सेवायें

00-

001-निदेशन तथा प्रशासन

01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

0104-एन0एस0एस0 प्रकोष्ठ 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता

(धनराशि हजार ₹ में)

क्र0 सं0	मानक कोड एवं मद	बजट प्राविधान	मांग का प्रस्ताव
1	01-वेतन	567	567
2	02-मजदूरी	33	33
3	03-महंगाई भत्ता	667	667
4	06-अन्य भत्ते	67	67
5	07-मानदेय	8	8
6	16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	233	233
	योग-	**1575**	**1575**
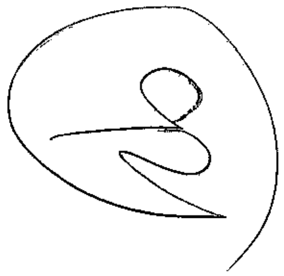
(लक्ष्मण सिंह)
संयुक्त सचिव।